बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

338

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग - 1910-II-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016

श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नी श्री बालमुकुंद अग्रवाल, निवासी वार्ड– न. 5 अनूपपुर तहसील जिला अनूपपुर (म.प्र.) --आवेदिका

विरूद्ध

1. बृज मोहन अग्रवाल पुत्र श्री वृन्दावन अग्रवाल, निवासी अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, अनूपपुर

--अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 185/अ–03/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 05/11/2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

मानवीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, अनूपपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 624 का नकशा तरमीम राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/अ–12/92–93 (बैसाखू बनाम म.प्र. शासन) में पारित आदेश दिनांक 19/04/1993 द्वारा इस सर्वे क्रमांक की 6 बटा नम्बर कायम किये गये। सर्वे क्रमांक 624/1 रकबा 0.16 शिवदयाल राठौर के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य में निर्मित किया गया जो पश्चिम दिशा में अमरकंटक रोड से लगा है।

2. यहकि, आवेदिका ने रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख क्रमांक 1462 दिनांक 15/03/2001 द्वारा सर्वे क्रमांक 624/1 के भूमि स्वामी शिवदयाल राठौर से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तदानुसार दिनांक 14/05/2001 को आवेदिका के नाम राजस्व अभिलेख में नामांतरण किया गया।

3. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा बैसाखू राठौर के विरूद्ध दिनांक 29/05/92 को सर्वे क्रमांक 624/2 पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के कारण संहिता की धारा 250 के अधीन राजस्व प्रकरण क्रमांक

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 13-6-16

13/6/2016

आज प्रस्तुत विनोद भार्गव 13-6-16

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1910–दो/2016 जिला अनूपपुर

सरोज अग्रवाल विरूद्ध बृज मोहन अग्रवाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–2–2019	आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री कुंवरसिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 185/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 05–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 12–4–2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 25/2/2019	